न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/15/2025	2025/103	10.02.2025	19.02.2025

1– मनोज सोलंकी पुत्र अजीतसिंह सोलंकी जाति जाट निवासी डबलू जैड 124 गली न0 3 डाबरी गांव पालम, दिल्ली।

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 16.08.2021 नामान्तकरण संख्या 3367 ग्राम किशनगढबास तह० किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री लेखराम –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 3367 निर्णय दिनांक 16.08.2021 वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 706 रकबा 0.7300 है0 में से 23/73 भाग वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास स्थित है, आराजी माधवदास पुत्र बहरूमल जाति खत्री सिन्धी निवासी गंज रोड कस्वा किशनगढबास की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी थी, माधवदास ने उक्त आराजी खसरा न0 706 रकबा 0.7300 है0 में से 23/73 भाग वाके ग्राम किशनगढबास का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल राशि प्राप्त कर मिन अपीलान्ट को बेचान किया गया, जो बैयनामा तहरीर दिनाक 07.04.2021 व तस्दीक दिनाक 08.04.2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 577 में पृष्ट संख्या 39 क्रंम संख्या 202103359100296 पर पंजिबद्व किया गया। बाद खरीद मिन अपीलान्ट उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ मौके पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक कब्जा है। मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त असल बैयनामा वास्ते दर्ज कराने नामान्तकरण पटवारी हल्का किशनगढबास को दे दिया, जिस पर पटवारी हल्का लंगडबास द्वारा नामान्तकरण संख्या 3367 दिनाक 08.06.2021 को दर्ज किया जिसे मंजूरी हेतु तहसीलदार किशनगढबास को भेंजा गया जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा बेजा रूप से यह दर्ज करते हुए खारिज कर दिया गया कि बकास्त की प्रविष्ट नामान्तकरण के दौरान हट गयी है, निरस्त योग्य है। तहसीलदार किशनगढबास द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में सही जाप्ता काम में नही लिया गया। मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गयी है, तथा बैयनामा उप पजियक किशनगढबास के यहा विधिवत रूप से पंजिबद्व हुआ है, ऐसी स्थिति में तत्कालीन खातेदार के नाम के स्थान पर मिन अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण दर्ज किया जाना था लेकिन गलत रूप से नामान्तकरण खारिज किया गया है। बकास्त की प्रविष्ट कानून में वर्तमान में कोई अस्तित्व नही रखती

ा कलक्टर
थल-तिजारा (राज०)

है, मिन अपीलान्ट द्वारा आरीजी जरिये रजि0 बैयनामा विधिवत रूप से खरीद की गयी है, ऐसी स्थिति में बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज होना था, जो गलत रूप से नामान्तकरण खारिज किया गया है। तहत अदालत द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये नामान्तकरण खारिज किया गया है। जो विधि विरूद्व रूप से खारिज किया गया है, कानूनन बकाश्त की प्रविष्ट हटने से कोई नामान्तकरण खारिज नही किया जा सकता है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.08.2021 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, अपीलान्ट दिल्ली में निवास करता है, तथा समय–समय पर आकर आराजी की सार–संभाल करता है। अपीलान्ट को जमाबन्दी की आवश्यकता पडी तो सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 25.11.2024 को हुई की बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है, जिस पर नकल नामान्तकरण दिनाक 28.11.2024 को प्राप्त हुई जिस पर बिना देरी किये यह अपील पेंश की गयी है। अपील पेश किये जाने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन है, कि दिनाक 16.08.2021 से आदिनाक तक की अवधि कन्डोन की जावे। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.08.2021 नामान्तकरण संख्या 3367 वाके ग्राम किशनगढबास निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 3367 दिनांक 16.08.2021 के विरूद्व दिनाक 05.12.2024 को पेश की गयी है, जो करीब 4 वर्ष 3 माह पश्चात पेश की गयी है। जो अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.08.2021 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 28.11.2024 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, साथ ही प्रस्तुत अपील का विधिवत निस्तारण हम केवल दफा 5 के आधार पर किया जाना उचित नही समझते है, हम अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 706 रकबा 0.7300 है0 में से 23/73 भाग वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास माधवदास पुत्र बहरूमल जाति खत्री सिन्धी निवासी गंज रोड कस्बा किशनगढबास की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी थी, माधवदास ने उक्त आराजी खसरा न0 706 रकबा 0.7300 है0 में से 23/73 भाग वाके ग्राम किशनगढबास का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल राशि प्राप्त कर मिन अपीलान्ट को बेचान किया गया बैयनामा तहरीर दिनाक 07.04.2021 व तस्दीक दिनाक 08.04.2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 577 में पृष्ट संख्या 39 क्रंम संख्या 202103359100296 पर पंजिबद्व किया गया। बाद खरीद अपीलान्ट आराजी पर काबिज होकर काश्त रहा है, मौके पर अपीलान्ट का वास्तविक कब्जा है। अपीलान्ट के द्वारा असल बैयनामा वास्ते नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु पटवारी हल्का किशनगढबास को दिया, जिस पर पटवारी हल्का लंगडबास द्वारा नामान्तकरण संख्या 3367 दिनाक 08.06.2021 को दर्ज किया जाकर मंजूरी हेतु तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष वास्त निर्णय हेतु पेश किया गया, जिस पर तहत अदालत द्वारा बेजा रूप से यह दर्ज करते हुए खारिज कर दिया गया कि बकास्त की प्रविष्ट नामान्तकरण के दौरान हट गयी है, निरस्त योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, की अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधिसम्मत जॉच कर अधिकतम दो माह में निर्णय पारित करे। तहत

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

किशनगढ – बास तहसील किशनगढ–बास का बाबत क दायर

अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.08.2021 नामान्तकरण संख्या 3367 वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)